

पत्रावली पेश। वरुलाय उपर प्रार्थना पत्र
 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपडित धारा
 15। सी पी सी एवं मूल प्रार्थना पत्र पर
 वरुलाय फरीडेन की वदप खुनी गई।
 वरुलाय की वदरन पर ममन किमा
 जमा एवं पत्रावली का अवरुधन
 किमा जमा। राजस रिमाई के अवरुधो
 मन से स्पष्ट है कि प्रार्थना एवं
 अजायब विवादग्रस्त थामी के सह छोटे
 दार है उभयपक्षकारान विवादग्रस्त थामी
 के सपडितेदारान होने के कारण कार्मिकर
 से मांग रिपोर्ट भंगनामा जाना शनित प्रंगित
 नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
 आदेश 39 नियम 7 सपडित धारा 15।
 अस्वीकार किमा जाता है। मूल प्रार्थना
 पत्र कांसीड रूप से स्वीकार किमा
 जाकर उभयपक्षकारान को पाबन्द किमा
 जाता है कि ताफैयला पुलवार वादग्रस्त
 सभ्यति की मांग की अभाविमति बनाए
 रखे। पत्रावली फायल सुमार होकर
 पुलवार के साथ जल्दी से रिप